

25/3/21

पत्रावली पेश हुई। वादी अथवा वारीगल की ओर
से कोई उपस्थित नहीं है। बार-बार आवाज लगवाई
गई। बावजूद आवाज के कोई भी हाजिर
नहीं आया। अतः वाद वारीगल अदालत पेशी अदालत
हाजरी में खातिज किया जाता है। पत्रावली केवल
शुमार लेकर नम्बर से कम ही दाखिल करार
हो। केसला सुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक जलकर एवं वातावरण
परिस्फोटक कार्ड के माध्यम से